5. Consideration and return of the Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 2006 relating to Demands for Grants (Railways) for 2006-07, after it has been passed by Lok Sabha.

6. Consideration and return of the Appropriation (No. 3) Bill, 2006 relating to Demands for Grants (General) for 2006-07, after it has been passed by the Lok Sabha.

GOVERNMENT BILL

The Khadi And Village Industries Commission (Amendment) Bill, 2006

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

> "खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

श्रीमन्, पिछले कुछ वर्षों में खादी क्षेत्र में रोजगार में अत्यधिक गिरावट और खादी उत्पादों की बिक्री में स्थिरता को देखते हुए यह आवश्यक हो गया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की संरचना में उपयुक्त बदलाव किया जाए, आयोग में आधुनिक प्रबन्धन पद्धतियाँ लागू की जाएँ और वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए केवीआईसी को सक्षम किया जाए। इसलिए राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग को पुनरुज्जीवित करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिसम्बर, 2004 में एक दस-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति को केवीआईसी की संरचना, कार्यकुशलता और कार्य-निष्पादन की समीक्षा करके उसे सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 2005 में प्रस्तुत की। श्रीमन्, सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर मौजूदा खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 में उपयुक्त संशोधन करने के लिए दिनांक 22 अगस्त, 2005 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 लोक सभा में प्रस्तुत किया। इस विधेयक में आयोग की संरचना और कार्यों को सुनिश्चित करने वाले मौजूदा अधिनियम के प्रावधानों को अधिक professional (पेशेवर) तथा वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रावधान है।

विधेयक में प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण संशोधन निम्नानुसार हैं:-

(क) आयोग के आंचलिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त क्षेत्र में 10 वर्ष के अनुभव की आवश्यकता का प्रावधान करना।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग में विपणन और बैंकिंग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो और अंशकालिक विशेषज्ञ सदस्यों को शामिल करना।

(ग) केन्द्रीय स्तर के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करना।

(घ) आंचलिक स्तर पर एक नये परामर्शदात्री कार्यतंत्र की व्यवस्था करना। छः(प्रस्तावित) आंचलिक समितियां, जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता क्रमशः एक सदस्य (अध्यक्ष सहित) द्वारा की जाएगी, जो देश के क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, कार्यक्रम संबद्ध सूचना के प्रसार के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करेंगी, योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करेंगी और अंचल स्तर पर आ रही कठिनाइयों की समीक्षा करेंगी।

(ङ.) आयोग की संरचना ऐसी करना कि आयोग नीतिगत मामलों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर अधिक ध्यान दे पाए और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयोग के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी रहे।

(च) विनिर्दिष्ट अभिकरणों के माध्यम से किए जाने वाले आयोग के कतिपय कार्यों के लिए व्यवस्था करना।

(छ) आयोग के पदेन सदस्यों को मत देने का अधिकार देना।

विधेयक में प्रस्तावित कुछ अन्य संशोधनों में केन्द्रीय सरकार को आयोग के भंग होने के बाद उसे पुनर्गठित करने का अधिकार देना, आयोग और आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार के बीच कार्यों और अधिकारों का स्पष्ट सीमांकन करना, यह स्पष्ट करना कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य केन्द्र सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद पर बने रहेंगे, जो आयोग में पांच वर्ष की निरंतर अवधि से अधिक नहीं होगा, शामिल हैं।

उक्त विधेयक को उद्योग पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की समीक्षा और सिफारिश के लिए भेजा गया। इस संसदीय समिति ने 13 दिसंबर, 2005 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। संसदीय समिति ने इस विधेयक के 14 खंडों में से सिर्फ 4 खंडों में संशोधनों की सिफारिश की। संसदीय समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन निम्नानुसार हैं:-

1. विधेयक के खंड 3 में संशोधन कर तीन के बजाय पांच गैर-सरकारी विशेषज्ञ सदस्यों की व्यवस्था करना।

2. विधेयक के खंड 8 में संशोधन कर अध्यक्ष, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के स्थान पर अंचल के प्रत्येक राज्य के खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के प्रतिनिधि या राज्य सरकार के प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा 30 दिनों के भीतर सदस्य नामित करने के लिए अधिसूचना जारी करना।

3: विधेयक के खंड 8 में संशोधन कर अंचल के प्रत्येक राज्यों से पूर्व में अच्छे रिकॉर्ड रखने वाली संस्थाओं से एक प्रतिनिधि को आंचलिक समिति का सदस्य बनाने के लिए प्रावधान करना।

4. विधेयक के खंड 6 में संशोधन कर खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम के अधीन खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के रूप में नामित करना।

5. विधेयक के खंड 2 में संशोधन कर पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति कारीगर अथवा कामगार के लिए निर्धारित पूंजी निवेश की सीमा को बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपए करना और केवीआईसी अधिनियम की धारा 2 के अधीन "ग्रामीण क्षेत्रों" की परिभाषा में छोटे शहरों के लिए जनसंख्या की सीमा को बीस हजार तक बढ़ाना।

संसदीय समिति की इन सिफारिशों को बहुत कम परिवर्तनों के साथ स्वीकार किया गया। समिति द्वारा सिफारिश की गई पाँच गैर-सरकारी (अंशकालिक) विशेषज्ञ सदस्यों के स्थान पर इनकी संख्या को चार तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, आंचलिक समिति में राज्य सरकार के प्रतिनिधि को नामित करने के लिए 30 दिनों की अवधि को स्वीकार करना, व्यावहारिकता की दृष्टि से संभव नहीं पाया गया है।

उद्योग पर विभाग-सम्बन्धित संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 में प्रस्तावित संशोधनों और खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 को लोक सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2006 को विस्तृत विचार-विमर्श के बाद किसी अन्य संशोधनों के बिना पारित किया गया।

मौजूदा के0वी0आई0सी0 अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों से के0वी0आई0सी0 के मूल उद्देश्यों, अधिकारों और कार्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वास्तव में यह अपेक्षा और विश्वास है कि इन प्रस्तावित संशोधनों से के0वी0आई0सी0 अपने कार्यों के निर्वहन में अधिक व समयानुकूल रूप से Professional (पेशेवर) बन पाएगा और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् और व्यापक रोजगार के सृजन में आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका और कारगर तथा समर्थकारी होगी।

महोदय, इसलिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 में संशोधन करने के लिए लोक सभा द्वारा पारित खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 को विचारार्थ और पारित करने के लिए माननीय सदन से विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूँ।

The question was proposed.

श्री देवदास आपटे (झारखंड) : महोदय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का विसर्जन आजादी के बाद पहली बार हुआ है। यह आयोग सन् 1956 में बना था। तब से लेकर आज तक कभी किसी सरकार ने, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में आई हो, इस आयोग को विसर्जित नहीं किया था। यह पहली बार हुआ है। मैं भी थोड़े दिनों कमीशन के साथ जुड़ा था, परन्तु जिस दिन सत्ता-परिवर्तन हुआ और मंत्री जी ने कार्यभार सम्भला, उसी दिन मैंने अपना त्याग-पत्र भेज दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि यह होने वाला है।

महोदय, इस आयोग के बाकी विषयों पर जाने के पहले ...(व्यवधान)... मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे एक बात का दुख है। उस दिन हमारे मित्र माननीय अहलुवालिया जी हिन्दी की अवमानना की बात कर रहे थे। यह खादी और ग्रामोद्योग का शुद्ध देशी विषय था, फिर भी इसका बिल पहले अंग्रेजी में बना, तब उसका अनुवाद हिन्दी में हुआ। बिल में लिखा है कि "बिना शक्ति के जो उत्पादन होगा, उसको ग्रामोद्योग माना जाएगा"। मैं समझ नहीं पाया, तो मैंने

फिर अंग्रेजी की कॉपी देखी। उसमें लिखा है- "पावर"। लिखना ही था तो हिन्दी में "बिजली" लिखते, "ऊर्जा" लिखते।

महोदय, मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूँ। संसद प्रांगण में जगह-जगह "नो पार्किंग" के लिए हिन्दी में बोर्ड लगे हैं। उस पर लिखा है-"ठहराव निषेद्य"। "ध" लिखने के बजाए, उसकी जगह जो "वैद्य" में "द्य" होता है, वह "द्य" लिखा है। मैं चाहता हूँ कि संसद में बातचीत करते समय, बिल बनाते समय या बाकी सारी चीजें करते समय हिन्दी का अवश्य ध्यान रखा जाए।

इस ग्रामोद्योग आयोग को या खादी ग्रामोद्योग आयोग को सुधारने के लिए सरकार ने आज तक कई कमेटियाँ बनाईं। एक-के-बाद-एक कमेटी बनती गई। यदि इन सारी कमेटियों की रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके मंत्री जी के सामने रख दिया जाए, तो उसकी ऊँचाई इतनी हो जा जाएगी कि मंत्री जी दिखाई नहीं देंगे। सबसे पहले करवे कमेटी बनी थी। करवे कमेटी के बाद अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। फिर उसके बाद तो लगातार कमेटियाँ बनती रहीं। स्व0 प्रधान मंत्री नरसिंह राव की अध्यक्षता में भी एक हाई पावर कमेटी बनाई गई। उसके बाद श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया, श्री के0सी0 पंत, ऐसी कई कमेटियाँ बनीं। आखिर में स्वतंत्र जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की बात आई।

मैं जानता हूँ, सरकार ने अपने सीएमपी में इसका उल्लेख किया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अधिक सशक्त किया जाएगा, क्योंकि खादी की बिक्री स्टेगनेंट हो गई है। मेरे पास आंकड़ें हैं, जिसका उल्लेख मैं मंत्री जी के सामने बाद में जरूर करूंगा। मंत्री जी ने 25 दिसंबर, 2005 को सभागृह में जो उत्तर दिया था, उसमें उन्होंने जो आंकड़े पेश किए थे, उन आंकड़ों को देखने के बाद यह कहीं नहीं लगता है कि खादी की बिक्री स्टगनेंट हो गई थी या ग्रामोद्योग में तैयार होने वाले जो उत्पादन थे, उनकी बिक्री स्टेगनेंट हो गई थी। ये सरकार के खुद के आंकड़े हैं, परन्तु पहला जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग बना था, सरकार उसके अध्यक्ष को हटाना चाहती थी। मंत्री जी ने उनसे वार्ता करने से इंकार कर दिया था, तो इस आयोग को भंग करना सरकार के लिए आवश्यक हो गया था। सरकार ने अपने सीएमपी में, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इस बात का उल्लेख किया था, अब यह सरकार सीएमपी पर चलती है या सीपीएम पर चलती है, यह मेरे सामने एक बड़ा सवाल है। कागज पर तो सीएमपी पर चलती है, व्यवहार में सीपीएम पर चलती है। सीएमपी में इसका उल्लेख करने के बाद यह एक कमेटी बनाई गई। उन्होंने 60 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और सरकार ने आयोग को भंग करने की घोषणा कर दी।

सभापति महोदय, आजादी के बाद पहली बार यह हुआ है। मैंने यह पढ़ा है और मेरे पास यह जानकारी भी है कि आयोग भंग होने की जानकारी जब लोगों को मिली, तो देश के कुछ प्रसिद्ध गांधीवादी, खादी से जुड़े हुए लोग माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलने के लिए गए, वार्ता हुई। माननीय प्रधान मंत्री जी ने उन लोगों को यह कहा कि आपके पास यदि कोई अच्छा नाम हो अध्यक्ष के लिए, तो उसका सुझाव दीजिए। उन सब प्रसिद्ध गांधीवादी, विचारकों और खादी के संबंध में आस्था रखने वाले लोगों ने कहा कि हम लोग विचार करके नाम आपको बताएंगे, परन्तु उन्होंने जो नाम सुझाया होगा, आदरणीय प्रधान मंत्री जी को शायद वह नाम स्वीकार्य भी होगा, किन्तु उन्हें जहां से और सहमति लेनी होती है हर काम के लिए, हर निर्णय

के लिए, वहां से वह सहमति मिली नहीं होगी। परिणामतः आयोग ही भंग हो गया। इस आयोग के बारे में एक और कंसलटेंसी को काम दिया गया था। उनका नाम था ऑर्थर एंडर्सन कंसलटेंसी, जिन्होंने कई सुझाव इस आयोग के संबंध में सरकार के सामने रखे। उनमें से एक दो सुझावों को सरकार ने जैसे का वैसा ही स्वीकार कर लिया, जिनके विरोध में मैं यहां खड़ा हूँ। सरकार ने जो संशोधन, बाकी शाब्दिक संशोधन हैं, वे छोड़ दें, प्रमुख संशोधन जो हैं, वे यह कि जो सरकारी नौकरशाह हैं, उनको इसमें वोटिंग का अधिकार दिया गया है। इसका परिणाम यह होगा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग की जो एक स्वतंत्रता थी, वह नष्ट हो जाएगी। आयोग एक अलग ढंग से जो काम कर था, अब वह सरकारी उपक्रम बनकर रह जाएगा और जिस प्रकार से सरकार अपने उपक्रमों को बेचने का सोच रही है, उसी तरह खादी और ग्रामोद्योग भी बिकने के लिए बाजार में आ जाएगा। इसके विरोध में मैं यहां खड़ा हूँ। ऑर्थर एंडर्सन कमेटी की जो कंसलटेन्सी फोरम थी, जिनके सामने सिवाय मार्केटिंग और प्रोफेशन के अलावा कोई दूसरा नजरिया नहीं था और उसके आधार पर उन्होंने सुझाव दिए थे।

महोदय, हम सबको यह जानकारी है कि खादी और ग्रामोद्योग के साथ हम लोगों की, इस देश की, इस देश की जनता की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यह विषय केवल मार्किटिंग का, प्रोफेशनलिज्म का या केवल बिज़नेस का नहीं हो सकता और इसीलिए पिछले 50 सालों से सरकार ग्रांट देकर इसको जिंदा रखने का प्रयास कर रही है। गांधी जी ने जब चरखा संघ या अखिल भारतीय सेवा संघ बनाया था, तो उनके दिमाग में यह बात थी कि उत्पादक और उपभोक्ता में कुछ संबंध होना चाहिए और इसी को ध्यान में रखकर यह सारा काम शुरू हुआ था। उसको यदि केवल मार्किटिंग के ऐंगल से ही देखा जाएगा और कितना घाटा हुआ या कितना मुनाफा हुआ, उसको यदि केवल इसी नज़र से देखेंगे तो सही नहीं होगा। आखिर जो कंसल्टेंसी फर्म थी Arthur Anderson की, उसके सामने तो केवल वही एक विषय था, उसको देश की भावना की, देश की जनता की भावना की कोई जानकारी नहीं थी और उसी के आधार पर उस स्वतंत्र कमिटी ने अपने सुझाव दिए, जिनको हमने स्वीकार कर लिया। यदि उन संशोधनों के आधार पर आयोग बनेगा तो मुझे डर है कि वह आयोग अपनी आजादी खो बैठेगा और जैसे आपके सारे विभाग चलते हैं; वैसे ही यह भी एक विभाग चलेगा, इससे ज्यादा इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है।

महोदय, जैसा मैंने पहले उल्लेख किया था, मंत्री महोदय ने यहां 25 दिसम्बर को जो उत्तर दिया था और उसमें जो आंकड़े दिए थे, उनको देखने के बाद कहीं ऐसा नहीं लगता कि खादी की बिक्री कम हो गई थी या ग्रामोद्योग का उत्पादन कम हो गया था। मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा था, "The value of total production of village industries in the KVI sector has grown from Rs.7140.50 crores in 2001-02 to Rs. 8126.30 crores in 2002-03." फिर उन्होंने यह कहा कि आगे 2003-04 में इसकी बिक्री 9,263 करोड़ रुपए होगी। इसकी ऐन्युअल ग्रोथ 14 परसैंट थी। ये सारे आंकड़े मंत्री जी के दिए हुए हैं, मेरे नहीं हैं। इसके बाद यह कहा जाता है कि बिक्री स्टेगनेंट हो गई थी, उत्पादन कम हो गया था, आयोग का सारा कार्य एक जगह खड़ा हो गया था, जिस कारण आयोग को भंग करना पड़ा।

महोदय, स्वर्गीय श्री नरसिंह राव जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमिटी बनाई गई थी। उस कमिटी ने ग्रामोद्योग की व्याख्या करते हुए यह कहा था कि जिसकी लागत

50,000 रुपए होगी, 15,000 रुपए की जगह, उसको ग्रामोद्योग मान लिया जाएगा और इससे ज्यादा होने पर उद्योग इस व्याख्या में नहीं आएगा। बीच-बीच में फिर वही 15,000 रुपए की बात आ गई, जो 1956 में कही गई थी, जबकि नरसिंह राव समिति ने 50,000 का प्रावधान कर दिया था और उसको मान भी लिया गया था।

इन संशोधनों में खादी ग्रामोद्योग की बैठक और उसमें वोटिंग के बारे में कहा गया है, जिनको वोटिंग के अधिकार दिए गए हैं, चाहे वह वित्त पदाधिकारी हो, चाहे चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर हो, इन सबको आयोग की बैठकों में वोट का अधिकार दिया गया है। मुझे डर है और जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा भी है कि आयोग की स्वतंत्रता, एक अलग दृष्टि से आयोग के रूप में जो यह संगठन चल रहा था, जिस पर देशभर के हजारों-लाखों सूत कातने वाले, चरखा चलाने वाले, सूत का कपड़ा बनाने वाले, विभिन्न प्रदेशों के सैंकड़ों मजदूर, सैंकड़ों गांवों के लिए अवलंबित थे, उनका वह अवलम्बन बंद हो जाएगा। वास्तव में खादी ग्रामोद्योग की स्थापना ही इस उद्देश्य से हुई थी कि कृषि के अलावा जो उद्योग हैं, जिनको गांव के लोग अपने गांव में ही चला सकते हैं और अपने जीवन के लिए कुछ अतिरिक्त साधन जुटा सकते हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था हो, लेकिन आज आयोग में जो सरकार ने व्यवस्था स्वीकार की है या इस बिल के माध्यम से सरकार जो संशोधन लाई है, उससे सिर्फ मुझे ही डर नहीं है बल्कि मैंने जिनका थोड़ी देर पहले उल्लेख किया था - देश के गांधीवादी विचारक, खादी में आस्था रखने वाले लोग, इन सबको भी यह भय सता रहा है कि आने वाले दिनों में आयोग का कार्यकलाप जिस ढंग से चलेगा, उससे सैंकड़ों-लाखों लोगों का, जो गांवों में अपने घर में रहते हुए थोड़ा बहुत उपार्जन कर लेते थे, उन लोगों का वह उपार्जन बंद हो जाएगा।

जो लोग प्रधान मंत्री जी से मिलने के लिए गए थे, उनमें हमारे इसी सदन के एक माननीय सदस्य भी शामिल थे। यह मेरे अकेले की ही नहीं है, उन सभी की यह चिन्ता है। मंत्री महोदय ने यह जो संशोधन पेश किया है, मैं इसके विरोध के लिए यहां खड़ा हुआ था।

मान्यवर, आपने मुझे इस विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं। समर्थन करने का मुख्य कारण यह है कि जिन धाराओं में संशोधन की बात कही गई है, आज की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अत्यंत आवश्यक है। माननीय मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक उद्‌बोधन में आयोग की कार्य-प्रणाली, आयोग के अन्दर रोज़गार में गिरावट और बिक्री में स्थिरता की बात कही है।

माननीय सभापति महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि देश की आज़ादी की लड़ाई में खादी का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और महात्मा गांधी जी ने इस देश में लोगों को एकजुट करने के लिए और साथ ही लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयत्न किए। उन प्रयत्नों के आधार पर देश की आज़ादी में खादी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। घर-घर में चरखे चलने लगे और लोगों को लगने लगा कि घरों में चरखा चलाकर हम खादी का उत्पादन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया। बहिष्कार करने का मतलब यह था कि हम विदेशी वस्तुओं को अपने देश के अन्दर न आने दें और इसके लिए हमने उनकी होली जलाई। इस आयोग को भंग करने की बात पिछले कुछ सालों से चल

रही है। माननीय आपटे जी ने भी इस बात का उल्लेख किया क्योंकि वह इसके सदस्य भी रह चुके हैं और उन्हें इसके बारे में काफी अधिक जानकारी भी रही है। लेकिन इसमें जिस तरह की गिरावट निरंतर आ रही है, वह शोचनीय है। खादी ग्रामोद्योग राजनीति से बहुत दूर रहा है, इसमें राजनीति का कहीं पर भी समावेश नहीं हुआ। इसके माध्यम से मुख्य रूप से ग्रामीण अंचल में रोज़गार कैसे उपलब्ध हो, उसकी दिशा में प्रयत्न किया गया।

सभापति महोदय, मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की हैसियत से मैंने इस बात को देखा कि खादी ग्रामोद्योग कमीशन से करीब 900 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध होनी थी, जो राशि मिली। मैंने इस बात का अनुभव किया और उत्तर प्रदेश के 908 ब्लॉक्स में गांधी ग्राम के नाम से इस योजना की शुरुआत की। आप यकीन मानिए कि लोगों को इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि मुख्य रूप से हमारे पहाड़ी क्षेत्र में उस समय 25000 अम्बर चरखे घर-घर में बांटे गए, इससे महिलाओं को भी प्रतिदिन रोज़गार के अवसर उपलब्ध हुए। यह सब काम उस जमाने में शुरू हो गया था। अब इस आयोग को भंग करने की बात आई और लोगों के सामने उसकी अनियमितताओं की इतनी अधिक शिकायतें निरंतर आने लगीं, तब ऐसा लगने लगा कि इस आयोग का स्वरूप पूरी तरह से विकृत होता जा रहा है। हालांकि मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि यह राजनीति का अखाड़ा बनता चला जा रहा था, तब हमने महसूस किया कि समय रहते ही अगर हमने इसका इलाज नहीं किया, इसका उपचार नहीं हुआ, तो उसका स्वरूप बदल जाएगा।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने बहुत सही बात कही है कि आप कोई ऐसा नाम बताइए जो इसके लिए उपयुक्त हो। समिति के सामने उन लोगों ने नाम बताया या नहीं बताया, मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन अब इस संशोधन विधेयक के आने के बाद जो भी संशोधन इसमें किए गए हैं, इन संशोधनों के माध्यम से खादी एवं ग्रामोद्योग को एक सशक्त आयोग के रूप में काम करने का अवसर मिलेगा और अवसर मिलने के बाद मैं समझता हूं कि इसमें बहुत सुधार भी होगा।

आप इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि घर-घर में लोगों के पास अम्बर चरखे रहे हैं और खादी का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आयोग में सुधार लाने के लिए जितनी भी कमेटियां बनी हैं - माननीय करवे कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, नरसिंह राव जी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी बनी थी, वह सब जानकारी में है। इससे यह लगता है कि आखिर हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उन सुझावों के मिलने के बाद आयोग में हम किस प्रकार का परिवर्तन करेंगे। आज खादी की मांग अपने देश में ही नहीं विदेशों से आने वाले लोग भी खादी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। उनको ऐसा लगने लगा है कि खादी के अंदर एक ऐसा स्नेह है कि खादी पहनने वाले को महसूस होता है कि वह खादी पहन कर उसमें आत्म-बल, आत्म-शुद्धि और सही आचरण करने की मन में एक इच्छा पैदा होती है। खादी का इतना महत्व था। खादी के महत्व को नकारने के लिए बहुत-से काम पिछले आयोग के माध्यम से हुए थे। मुझे उसके बारे में इसलिए नहीं कहना कि बहुत-सी विभिन्न अनियमितताओं के कारण सरकार को इसलिए मजबूर होना पड़ा, सरकार ने काफी सोच-समझकर इस आयोग को भंग किया और भंग करने के बाद में आज संशोधन के माध्यम से इसको नया स्वरूप दिया है। माननीय मंत्री जी ने 25 दिसम्बर को अपने जवाब में जरूर कहा कि खादी की बिक्री में अस्थिरता और कमी आती जा रही है, मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन ये उस वक्त की परिस्थितियां थीं। इसमें अधिक उत्पादन होने की

आवश्यकता है जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में मिलें, पर्वतीय क्षेत्र में लोगों को अधिक से अधिक इसमें रोजगार के अवसर मिलें। इसलिए आवश्यकता है कि इन संशोधनों को पारित किया जाए। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत भी हमने इसको कहा था। माननीय आपटे जी ने जरूर कहा कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम कहीं सी0पी0एम0 का तो नहीं हो जाए। सी0पी0एम0 हमारी सहयोगी दल है। वे बराबर हमें सलाह देते हैं, सहयोग देते हैं और वे जानते हैं कि इस सबमें हमें संशोधन करने की आवश्यकता क्यों है। उनकी सलाह को हम निश्चित रूप से सुनते हैं और मानते भी हैं। लेकिन विचार भिन्नता हो सकती है। हमारे न्यूनतम साझा कार्यक्रम की घोषणाओं में हमने जो कुछ कहा है, उसमें उनका कोई दखल नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, गांधीवादी प्रवृत्ति रखने वाले लोग, गांधीवादी विचारधारा रखने वाले लोग आज देश में कोई कम नहीं हैं। जो एंडरसन कंसल्टेंसी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट पर माननीय मंत्री जी ने, समिति के लोगों ने काफी गंभीरता के साथ विचार किया। यह कहना कि अन्य सरकारी उपक्रमों के समान एक समय ऐसा भी आ सकता है कि इसे बिक्री कर दिया जाए, मैं समझता हूं कि जब से यू0पी0ए0 की सरकार आई है, इस सरकार ने बराबर इस बात को ध्यान में रखा। मैं आपकी आलोचना नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप पिछला कार्यकाल देखें कि आपने कितने सरकारी उपक्रमों को जो अच्छे थे, जो कमाऊ थे, उनको आपने बेचा। खादी ग्रामोद्योग उपक्रम को बेचने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। इसे और सशक्त बनाया जाएगा ताकि इसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। माननीय सभापति महोदय, रोजगार आज देश की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है और इस बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा में हमारी यू0पी0ए0 की सरकार ने जितने कार्यक्रम बनाए, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्यक्रम बनाया, उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक परिवार में एक व्यक्ति को सौ दिन का रोजगार मिलेगा। इस खादी ग्रामोद्योग के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनके कार्य को मैंने बहुत करीब से इसे पर्वतीय इलाकों में देखा है और खादी के प्रति लोगों की इतनी दिलचस्पी है, विशेष रूप से महिलाओं को इतने रोजगार के अवसर वहां पर मिलते हैं, योगेन्द्र नारायण जी यहां बैठे हैं, मेरे प्रमुख सचिव थे उस वक्त जब मैं वहां राज्यपाल था, उन्होंने देखा होगा कि गांधी ग्राम की इतनी मांग थी कि हर ग्राम के अंदर गांधी ग्राम घोषित कर दिया जाए और वहां पर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर दिए जाएं और न केवल रोजगार के अवसर बल्कि लोगों को समझाना, लोगों को सिखाना कि हम किस प्रकार आत्म-निर्भर हो सकते हैं, किस प्रकार हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, तो यह इतना बड़ा काम इस आयोग के माध्यम से हुआ है, मैं समझता हूं कि इस संशोधन विधेयक में जो आपने संशोधन प्रस्तावित किए हैं, उन संशोधन को पूरी तरह से स्वीकार करने की आज आवश्यकता है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम इसके संशोधनों के बाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग का जो गठन होगा, जिन सदस्यों को इसमें शामिल करने की बात आपने कही है, अगर उन सरकारी अधिकारियों को वोट का अधिकार मिल भी जायेगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, उसमें वे अपने वोट के अधिकार का दुरुपयोग करने का साहस नहीं जुटा पायेंगे। वे मिल-जुलकर काम करेंगे, किसी भी संस्था में चाहे वोट का अधिकार किसी को भी मिले, लेकिन संस्था के उत्थान के लिए, संस्था की भलाई के लिए, संस्था के अच्छे कामों के लिए, वे इसमें बराबर सहयोग देंगे। मैं इस बात को कह सकता हूं।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसके बारे में आपने कहा है कि 20 हजार से अधिक उसकी आबादी न हो, मैं सोचता हूं कि 20 हजार की आबादी बहुत बड़ी नहीं है, आपने संशोधन प्रस्तुत किया है, अगर विचार हो सकता है, तो उस आबादी की सीमा को और अधिक बढ़ाना चाहिए, ताकि हम उन ग्रामों को इसमें सम्मिलित कर सकें और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सकें। आपने जो धनराशि का प्रावधान किया है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक लाख पचास हजार रुपये की राशि को सम्मिलित करने का प्रावधान इसमें होना चाहिए। मैं इससे सहमत हूं कि इसकी राशि को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरी दृष्टि में भी राशि बढ़ाने की आवश्यकता है। आज की बदली हुई परिस्थितियों में रोजगार कितने लोगों को दिला सकते हैं और खादी का उत्पादन अधिक से अधिक हमारे देश में हो। गांधी जी की यह इच्छा थी, गांधी जी ने जो कहा था, अगर उस आधार पर हम खादी का उपयोग इस देश में अधिक से अधिक करते हैं, तो इससे लाखों-करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। जो स्थिति इससे पहले थी, जो हमारा आयोग था, उस स्थिति को अगर हम बारीकी से देखें, तो हमें पता चलेगा कि कितनी अनियमितताएं उसमें आये दिन हो रही थीं और उन अनियमितताओं की तरफ से आयोग ने पूरी तरह से आंख मूंद रखी थी। आयोग ने कहीं भी इस बात का ध्यान नहीं रखा था कि इतनी शिकायतें आ रही हैं, इन शिकायतों का निराकरण करना चाहिए। मैं यह नहीं कहता, क्योंकि मैं तो था नहीं, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि उन अनियमितताओं की तरफ जब सरकार का ध्यान, यूपीए सरकार बनने के बाद गया, तो सबसे अच्छा काम सरकार ने इस आयोग को भंग करने का किया। इसके लिए दिसम्बर, 2004 में 10 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया गया और समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही हुई है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं।

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): Sir, I rise to support the Bill, of course, with some observations. Sir, in the Statement of Objects and Reasons the hon. Minister has stated that there has been a steep decline in employment in the Khadi sector and sales of Khadi products since 1997-98. He is very correct in his Statement, in pointing out the steep decline. I have the data with me and it supports that a state of stagnancy is prevailing in the Khadi sector for many years. Sir, while supporting the amendments I would like to bring to his notice some of my observations. In the amendments, section 4 states that Members of the Commission should have experience not less than ten years in the Khadi and Village Industry sector. But my question is that, the time of ten years experience in the case of those who are non-official Members, it would be very difficult to deduct his tenure of experience and only in the case of bureaucrats who are working in the Khadi departments and commissions only will be taken in practically, and the non-official Members who are having first-hand experience in the field will be deleted in the long run.

This will give a trend for inclusion of retired bureaucrats and others. So, I have some reservation on this term - '10 years experience.' This term should be replaced with another term 'having vast knowledge in the field or specialisation in the field.' This may be included in the Bill, if possible.

Now, I come to amendment of Section 15 which says, '...plan and organise, directly or through specified agencies.' The term 'specified agencies' has to be clarified. Otherwise, through this term, the outsourcing will take place in the filed of khadi. So, a great care has to be taken while applying this term.

Sir, I shall now invite the attention of the hon. Minister to some of the recommendations made by the Ten-Member Expert Committee. It gave detailed recommendations. But only recommendations, which are linked with administration, have been accepted. But, nothing has been said in the Bill about the recommendations made by the Expert Committee in respect of development of traditional rural industries, development of khadi, etc. There are many recommendations made by the Expert Committee. I would like to spell out some of them. It has been referred, 'the case of fast changing economic and corporate environment crippled the growth and development of khadi and village industries in the country and khadi and village industries remained a mute spectator.' This point has not been dealt with in the Bill. The basic question of revitalisation of the rural industrial sector is missing here. So, will the hon. Minister bring another Bill to give a boost to the rural industrial sector? The Committee has also made this observation. It says, 'the Committee surprised to observe that no provision has been made in the KVIC Bill, 2005, for achieving professionalism in the middle and lower level of management in the KVIC.'

Another point is about how will the KVIC run? Will it run on the Government's money or on the bank finance? How far will it depend on the Government or on banks for finances? This has to be verified and these points need to be sorted out while preparing the Bill. So, the basic theme of the KVIC i.e., retention of traditional character of rural industries, the basic character of rural industries is missing in the Bill. So, I would like that the hon. Minister should address these things. With the name of khadi, the movement of swadeshi is linked or associated. We all know that. And the people wearing khadi once were well respected in the society. Those days have gone.

What were the objectives put forward by Mahatma Gandhi in the Khadi Movement? The aim was to generate non-firm employment opportunities in the rural areas at a lower per capital investment. The low per capita investment has to be addressed to promote self-reliance, to impart training, to improve skill, to provide better marketing facilities. For want of all these things, the khadi market has failed. The khadi products are diminishing day-by-day for want of better sales and marketing facilities. So, these are the points that have to be addressed.

Sir, in the Second Five Year Plan, 1956-61, two things happened simultaneously -- one, the KVIC was established; second, during this Plan period, a mighty drive was launched by the Government to boost the heavy industries. So, the drive to promote heavy industries sector and the industries in the lower income group were taken up simultaneously, without looking into the fact which one will survive. The Government emphasised simultaneously on both, the heavy industries as well as small industries. Naturally, if both are given equal emphasis, the Khadi will not survive, the rural industries will not survive in competition. And, this has happened. This has been well discovered by the Committees, whether it was the Karve Committee, or, it was the Ashok Mehta Committee during the sixties, or, it was the Khadi and Village Industries Review Committee during the eighties, or, it was the High Power Committee, headed by the then Prime Minister, Shri Narsimha Rao; or, it was the committee, constituted under Shri K.C. Pant in the year 2000; or, it is the ten-member committee about which we are talking.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, your time is over.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, I will take just two minutes more. All these Committees have emphasised that the khadi and village industries sector is declining. They have pointed out so many reasons for the decline of this sector. But, I will be pointing out a few of them. These are: necessity of structural changes, changes in attitudes at the grassroot level, necessity of increase in the flow of institutional credit - the financial institutions are not coming forward to lend money to this sector; this is the bare truth -- a separate rural industries commission; preservation of heritage nature of products; need for a separate marketing committee. If we go through the reports of the afore-mentioned committees, these are some of the grey areas because of which this sector is suffering.

Sir, there are some contradictions in the khadi and village industries sector. And, I would like to help the hon. Minister to find out those contradictions. The KVIC is working at the both the levels, Central as well as States. In the States, there are KVIB. The NABARD bank is financing. But there is a contradiction among the three groups -- the KVIC, at the Central level; the KVIB at the State level; and the financial institutions.

And, due to this cold infighting among these three sectors, this sector cannot progress. Sir, I want to say that as the technology has developed, upgradation in the Khadi Sector is required. In rural industries, upgradation is very, very necessary. But what we see in the Khadi Sector also now is that the handloom and the handicraft industries have crept in and khadi has to compete with them. Either we should combine with them or make it compete with them. A separate identity is becoming possible.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI MATILAL SARKAR: I would like to invite the attention of the hon. Minister to the rates of spinning. These spinners, after a day's toil, get only Rs. 20/-; not more than that, perhaps. They get only Rs. 20/-. When they get their labour work outside, they get Rs. 100/- per head. So, why will they come in this sector? It is another problem that people in the NMCs are now going away, leaving the NMCs. The problem has to be addressed. And, merely bringing the Bill will not suffice.

DR. K. MALAISAMY (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Chairman, Sir. While I am inclined to support the objectives of the Bill, I have my own reservations whether these objectives will be fulfilled by this amendment. My reasons are manifold.

Sir, they have said that the purpose of bringing the Bill -- they have given the reasons -- that there is a decline in the employment in the Khadi Sector. Secondly, there is stagnation of sales. Decline in employment and stagnation of sales are the two major reasons of provocation to bring this amendment, Sir. But the Minister's reply dated 12.05.2005 and the other statistical data go to show that the industrial production and employment have been increasing. The turnover is also increasing. Sir, if we read the reply given by the Minister, we will find that during the year 2001-02 employment given was 8.48 lakhs.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

In the next year, that is, 2002-03, it was 8.58 lakhs. It was higher than 8.48 lakhs. Then, coming to 2003-04, employment was 8.61 lakhs. What I am trying to say is that during the year 2001-02, 2002-03 and 2003-04, the turnover, as well as, employment was on the increase. They have given the combined figure of industrial production in village industries, as well as, the khadi industry. The turnover figure goes like this. During the year 2001-02 it was 7,140.50 crores. During 2002-03, it was 8,126.30 crores. Then, during 2003-04, it was 9,263.98 crores. So, the village industry sector, as well as, the khadi sector put together or separately, employment is going up and the total turnover is also going up. These are not my figures, these are the figures given by the hon. Minister. Why is it so? The present Commissioner, Mr. Chandran, in his press meet said that as against the target of 5.25 lakh employment, they have got 5.30 lakh employment. It is .05 higher than during the year 2002-03. So, my point is that the purpose for which the amendment has been brought does not exist. That is my first point. I would like the Minister to clarify on that point.

Assuming that they have got some other purpose in bringing this Bill, as far as I am concerned, I welcome the Bill. I welcome the amendment, provided the purpose is going to be served, namely, to protect and promote the khadi sales, or, khadi industry.

The Khadi Commission which was in existence earlier was abolished. Now, they are restoring the Khadi Commission with some modern outlook, by introducing some professionalism and division of power, etc. Sir, my core argument is this. Before coming for an amendment like this, as rightly said by my colleague who spoke earlier, umpteen numbers of expert committees were constituted. They have given their reports. Based on those reports, several things have been done. Similarly, this is also based on the expert committee report. My fear is that this is an half-baked amendment, which is not going to serve the purpose. Why I say so is to achieve a particular thing, we first need the objective. Then, to achieve that objective, there should be an organisation. In that organisation, right personnel should be employed. Then, there should be a system of operation. In other words, objective, organisation, people and operation are necessary. I would like to know whether the Khadi

Commission, whether the amendment you are proposing will have an objective, whether it will have the requisite personnel, whether it will have a system of operation, or, is it going to be a system failure or human failure later? This is my doubt. Before bringing an amendment like this, they must think deeply, exhaustively, and they must do a SWOT analysis, namely, what is the strength, what is the weakness, what is the opportunity and what is the threat? After having a close scrutiny of all these aspects only, you can come to a conclusion and you can take a view. Sir, I will take a minute to explain about the strengths and weaknesses of the entire system of Khadi. As far as the strength is concerned, I am one who wants to support Khadi, because in terms of employment, in terms of production, in terms of rural economy, in terms of export, etc. they are playing a significant role. Not only Khadi but village industries also are doing wonderfully well, and, the overall impression is very good. If that be the case, what are real weaknesses and strengths? The strength is, it has got a national heritage. It gives mass production. I am reminded of the great Father of the Nation Gandhiji who said that "we don't need mass production, but we need production by masses." Here is one area where production is done by masses. I mean, local people are involved, local NGOs are involved, low-cost technology is applied, local potentiality and local talents are used. These are all strong points, which the rural industries and Khadi have. Particularly, when the employment in agriculture sector is declining, you should have a non-farming area of employment for which this is a very good alternative/substitute. I am very sorry to say that there is shortage of working capital. There is shortage not only for working capital but also for the main capital. You are still going by the traditional technology, and there is lack of diversification. Then, what is the opportunity? We have got tremendous potentiality for export, I am told. Then, the threat is competition from handloom, as well as, from power-looms. In other words, I will put it this way. In your system there is lack of inter-sectoral coordination and cooperation. It lacks very much. Then, there is no institutional support for your marketing. There are umpteen numbers of institutions, but your marketing is weak and you are not taking help of those people. We were told that Khadi Commission has recognised about as many as 150-odd industries as an approved industry. Now, I am told that the list has been abolished. Then, a list of other industries has been prepared by the other institutions. Are you not taking advantage of all those things.

12.00 Noon

Then, you have no linkage with R&D institutions at all. The experience of China's 'SPARK Programme' can be taken up. They have done wonderfully well. They are doing a very good job by way of supervision, coordination, review, guidance, etc. By doing so, China is reported to be achieving excellent results not only in rural areas, but in counties also. I am told that they are doing wonderfully well. What I am trying to say, Sir, is that we can also take some hint from them. We can easily borrow whatever good ideas are available there and do something for our purpose.

Finally, Sir, what I am trying to say is, it is not enough that you have got a will to do something, but you need the skill to execute it. Only the will is not enough, but the skill is also necessary, and the means are also necessary. Sir, you must have the overall potentiality of the entire country, and you can diversify what are the areas on which you can thrive. During our visit to West Bengal, we were told that 'Muslin' is one of the wonderful products. It has got an excellent market world-over. If that be the case, such products can be promoted, in such a way, that it brings a very good income to our khadi and village industries. So, the overall survey should be done and the potentiality should be understood. Then, you must have a programme within a time-frame as to what are the areas you can exploit potentiality.

So, my core observation is that bringing a piecemeal amendments is not going to serve much purpose. On the other hand, you take an overall view and come out with a comprehensive amendment. That will be better. Thank you, Sir, for having given me an opportunity.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Prof. Ram Deo Bhandary; ...*(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, Mr. Narayanasamy was not there, but still he did not take any advantage of that. I must say that.

प्रो. राम देव भंडारी (बिहार) : माननीय उपसभापति जी, इस बिल को प्रस्तुत करने वाले माननीय मंत्री महावीर बाबू स्वयं भी गाँधीवादी विचारधाराओं पर चलने वाले देश में जो कुछ बचे-खुचे लोग हैं, उनमें से एक हैं। अभी वोरा साहब बोल रहे थे, इस आयोग की जब स्थापना हुई थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। स्वदेशी आन्दोलन, जो आजादी के पहले शुरू हुआ, आजादी के बाद भी उस आन्दोलन को आगे बढ़ाना, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो

गाँव हैं, जहाँ 60-70 प्रतिशत से अधिक लोग रहते हैं, उनको रोजगार मुहैया करना, अपने हाथों से बनाए हुए सामान का उपयोग करना और उसे देश में पहुँचाना, बहुत ही पवित्र और बड़ा उद्देश्य था। इस आयोग को इसी उद्देश्य से बनाया गया था। मगर धीरे-धीरे यह आयोग एक चारागाह बन गया। जो लोग पॉलिटिकली बेरोजगार होते गए, जिन्हें हमने संसद में या विधानसभाओं में नहीं भेजा, उन्हें हमने आयोग में बिठा दिया, चाहे वे स्वदेशी आन्दोलन से जुड़े हों या नहीं, स्वदेशी भावना से प्रेरित हों या नहीं, फिर भी हमने उन्हें बिठा दिया। इसका जो नतीजा निकलना था, वह निकला। भ्रष्टाचार, अनियमितता - ये सारी बुराइयाँ आयोग में आ गईं। जब ये बुराइयाँ आयोग में आ गईं, तो यह स्वाभाविक है कि वह आयोग ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। पिछले कुछ वर्षों से आयोग में यही हो रहा था। इसलिए आयोग का पुनर्गठन करना अत्यन्त आवश्यक हो गया था, ताकि जिन उद्देश्यों के लिए इसकी स्थापना हुई है, उन उद्देश्यों को आयोग पूरा करे।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं मधुबनी से आता हूं। खादी के लिए मधुबनी को देश जानता है। महोदय, मधुबनी की खादी की न केवल देश में बल्कि विदेशों में प्रशंसा होती है। कई माननीय सांसद कहते हैं कि अगर हो सके तो मधुबनी की खादी लाकर दें। ...**(व्यवधान)**... अप्प गंभीर हैं तो आप को दे देंगे, वैसे आप सही जगह पर नहीं बैठे हैं, यह दूसरी बात है।

महोदय, अभी चरखे की, अंबर चरखे की बात हो रही थी। हम लोगों के यहां उसको तकली कहते हैं। यह एक छोटा-सा घुमाने वाला यंत्र होता है। गांधी जी भी तकली कातते थे। महिलाएं जब घर के काम से निपट जाती थीं तो तकली लेकर बैठ जाती थीं। वे तकली से सूत कातती थीं। अपने घर पर सूत जमा करती थीं और उसका जितना मूल्य होता था, वह उन्हें घर बैठे ही मिल जाता था। मगर धीरे-धीरे उनका शोषण होने लगा, नकली संस्थाएं बनने लगीं और कमीशन से उसका रजिस्ट्रेशन होने लगा। महोदय, पावरलूम से बनाया कपड़ा, भी खादी के नाम पर बिकने लगा था। इस प्रकार नकली संस्थाएं बनीं। उन संस्थाओं में कमीशन लेने के लिए नकली रिकॉर्ड तैयार होते थे। अगर शिकायत होती थी तो जांच के लिए कमीशन से जो अधिकारी आते थे, अगर आसपास कोई अच्छा होटल न हो, मधुबनी में जांच करनी है तो पटना के फाइव स्टार होटल में उन्हें ठहराया जाता था। उनकी पूरी सेवा-शुश्रूषा होती थी, फिर वे रिपोर्ट तैयार करके भेज देते थे। इस तरह से उसमें बुराइयां आईं, नकली संस्थाएं बनीं और कमीशन गलत ढंग से हड़प लिया जाने लगा। ऐसी स्थिति में उस आयोग को चलाए रखना न तो स्वदेशी आंदोलन के हित में था और न देश हित में था। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने की जो भावना थी, उसकी पूर्ति नहीं हो रही थी। हम कहीं से भी उसके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे।

महोदय, आज ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन हो रहा है। आज गांवों में रोजगार न होने से गांवों से लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग लगाने की जो हमारी कल्पना थी, छोटे-छोटे उद्योग लगाने की जो कल्पना थी, उसके पीछे उद्देश्य यह था कि इस कार्य के लिए किसी बड़ी फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता नहीं थी। अंबर चरखा चलाने और तकली चलाने के लिए किसी फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं थी। यह कार्य घर के किसी कोने में बैठकर एक महिला द्वारा किया जा सकता था।

महोदय, हमारे यहां एक ऐसा समाज है जिसमें अगर कोई महिला विधवा हो जाए, उसकी उम्र कुछ भी हो, वह शादी नहीं करती थी। उस महिला के लिए सूत कातना और सूत कातकर स्वावलंबन से रोजी-रोटी चलाना, बहुत बड़ी बात थी। मगर आज वह भी खत्म हो गया है। बुनकरों की जो हालत है, उस पर हम सभी चर्चा करते रहते हैं। पहले लाखों बुनकरों को इस माध्यम से रोजगार मिलता था, लेकिन आज बुनकरों की हालत भी खराब है। इस तरह लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिस उद्देश्य से आयोग की स्थापना की गयी थी, आयोग उस उद्देश्य से भटक गया है। वह अपने लक्ष्य से भटक गया है।

महोदय, मंत्री जी गांधीवादी हैं, उनके माध्यम से यह बिल सदन में आया है। मैं आशा करता हूं कि इस आयोग में जो बुराइयां व गलत बातें आ गयी थीं, उनको सही किया जाएगा। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इसे जो लोग चारागाह बनाकर चलाते थे, उसे रोका जाए। इसे चारागाह न बनने दिया जाए और जिस उद्देश्य के लिए इसमे अमेंडमेंट हो रहा है, उसे पूरा किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आप को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा) : धन्यवाद, उपसभापति महोदय।

महोदय, खादी का इतिहास स्वाधीनता आन्दोलन से जुड़ा हुआ है। स्वाधीनता आन्दोलन में खादी को महात्मा गाँधी ने घर-घर, गाँव-गाँव तक पहुँचाया था। इस आन्दोलन के माध्यम से स्वदेशी वस्त्रों को लोगों तक पहुँचाना एवं गाँव की अर्थ-नीति का विकास करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। उसी उद्देश्य को लेकर खादी आन्दोलन को सारे देश में पहुँचाया गया था। महोदय, 1956 में के0वी0आई0सी0, खादी एण्ड विलेज़ इंडस्ट्री कमीशन, पालिर्यामेंट के कानून के द्वारा बनाया गया। इसके माध्यम से सारे देश में खादी एवं ग्रामीण उद्योगों को अधिक प्रचार करने की व्यवस्था की गई, किन्तु अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ...**(व्यवधान)**... आप पूरा सुन लीजिए ...**(व्यवधान)**...

महोदय, 1965-66 में इसके सुधार के लिए अशोक मेहता कमेटी बनाई गई। उसने अपने सुझाव दिए, रिपोर्ट दी। 1985 में रामकृष्णैय्या कमेटी बनाई गई। महोदय, इसके बाद 1993 में प्रधान मंत्री स्व0 नरसिंह राव की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। इन सब कमेटियों के गठन के बावजूद भी जिस प्रकार की अपेक्षा थी, वह नहीं मिल पाई।

महोदय, हमारे देश के विकास में ग्रामीण उद्योगों की विशेष भूमिका है। आज के इस ग्लोबलाइजेशन के युग में, जब टेक्निकल अपग्रेडेशन चल रहा है, हमें ग्रामीण उद्योगों को बचाना है। हमारा सौ करोड़ का देश है। हमारे देश की प्रमुख समस्या बेरोज़गारी है। हम उसका समाधान केवल बड़े-बड़े उद्योगों के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। बड़े-बड़े उद्योगों में हाइली टेक्निकल अपग्रेडेशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, कम्प्यूटर के द्वारा सारे काम हो रहे हैं और मानव-श्रम की आवश्यकता कम होती जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर रोज़गार कहीं उपलब्ध हो सकता है, तो वह गाँवों में छोटे-छोटे उद्योगों से ही हो सकता है। सरकार को इस ओर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना होगा। उसी से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सुधार हो सकता

है। गाँवों में रोज़गार, विशेषकर स्व-रोज़गार उत्पन्न हो सकता है और महोदय, इसमें के0वी0आई0सी0 एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

महोदय, के0वी0आई0सी0 संशोधन बिल, 2005 लाया गया है। इस बिल को लाने के जो उद्देश्य बताए गए हैं, उनमें खादी एण्ड विलेज़ इंडस्ट्रीज़ को अधिक प्रोफेशनलाइज़ करने तथा इस क्षेत्र को अधिक कम्पीटीटिव बनाने की योजना है। किन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस अमेंडमेंट का मुख्य उद्देश्य केवल इतना ही था?

महोदय, हम सब जानते हैं कि 2004 में सत्ता में परिवर्तन हुआ। सत्ता में परिवर्तन होने के साथ-ही-साथ देश की कई संवैधानिक संस्थाओं में भी परिवर्तन हुए। राज्यपाल भी बदले गए। वे केवल इसलिए भी बदले गए कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से उनके सम्बन्ध थे। उसी कड़ी में, सरकार ने शायद यह अनुभव किया कि के0वी0आई0सी0 में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि के0वी0आई0सी0 एक स्टैचुटरी बॉडी थी, पार्लियामेंट के एक्ट के तहत तैयार हुई थी, उसमें परिवर्तन करना सम्भव नहीं हुआ, तो इसको परिवर्तन न कर पाने के कारण, इसका कार्यकाल, जो दो साल और बाकी था, उसके पूर्ण होने के पहले ही भंग कर दिया गया। इसके परिवर्तन करने के जो उद्देश्य हैं बताये गये हैं इसके पुनरुद्धार एवं इसके कार्यकलाप में परिवर्तन लाने के लिए एक 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। कमेटी ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और इसके कार्य-प्रणाली में सुधार करने के लिए अपने सुझाव दिए। महोदय, इस कमेटी ने क्या सुझाव दिए, इस विषय पर मैं अलग से बात करूँगा, किन्तु के0वी0आई0सी0 को भंग करने के जो कारण दिए गए हैं, मैं उनके बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो प्रमुख कारण बताए गए हैं, उनमें खादी सेक्टर में रोजगार में गिरावट होना, there is a steep decline in the sales and employment in the Khadi sector.

उपसभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मंत्री महोदय द्वारा इसी सदन में दिनांक 12/05/2005 को दिए गए एक अनस्टार्ड क्वैश्चन के जवाब की ओर दिलाना चाहता हूँ। मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा है कि वर्ष 2001-02 में 8.48 लाख एम्पलायमेंट जनरेशन हुआ, वर्ष 2002-03 में 8.58 लाख एम्पलायमेंट जनरेशन हुआ और वर्ष 2004-05 में 8.61 लाख एम्पलायमेंट जनरेशन हुआ है। इसके अलावा जो बिक्री के आंकड़े दिए गए हैं, यह सही है कि इसमें वृद्धि नहीं हो रही थी, स्टेगनेंसी थी खादी के सेक्टर में, किन्तु हम ग्रामीण उद्योगों के आंकड़ों को देखें तो निश्चित रूप से उसमें वृद्धि हुई है। इसी तरह मंत्री जी ने लोक सभा में अपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि केवीआईसी के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2001-02 में ग्रामीण उद्योगों का उत्पादन जो 7,140 करोड़ था, वर्ष 2002-03 में बढ़कर 8,126.30 करोड़ हो गया और वर्ष 2003-04 में यह बढ़कर 9,263 करोड़ हो गया, इस प्रकार ग्रोथ 14 परसेंट हो पाया है। इसी के साथ-साथ जो रोजगार की बात है, वर्ष 2001-02 में जहां आप 54.16 लाख लोगों को रोजगार दे रहे थे, वहीं वर्ष 2002-03 में बढ़कर यह आंकड़ा 57.87 लाख हो गया, वर्ष 2003-04 में बढ़कर 62.57 लाख हो गया। इस सबको देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस बात को लेकर आपने आयोग को भंग किया है, वह कितना सही है?

उपसभापति महोदय, अब मैं आपका ध्यान पिछले आयोग के कुछ कामों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। पिछले आयोग ने अपने कार्यकाल में खादी को एक नई दिशा देने का काम किया है। पहली बार खादी को ब्रांड नाम के हिसाब से प्रस्तुत किया गया, खादी एंड ग्रामोद्योग में

सर्वोदय एक ब्रांड बनाया गया और ब्रांड के माध्यम से खादी को बाजार में उतारा गया। खादी की वस्तुओं को और अधिक आधुनिक रूप देने के लिए देश के कई फैशन डिजायनरों की सहायता ली गई, खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी, खड़गपुर तथा अन्यान्य तकनीकी संस्थाओं से सहयोग लिया गया। इस प्रकार खादी सेक्टर को एक नया रूप देने का प्रयास किया गया, खादी वस्तुओं की मार्केटिंग में अधिक आकर्षण लाया गया, इसकी पैकेजिंग को और अधिक आधुनिक बनाया गया। इसमें एक एग्रेसिंग मार्केटिंग नेटवर्क खड़ा किया गया तथा इसके द्वारा खादी वस्तुओं के एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई। इससे ग्रामीण उद्योगों का विस्तार हुआ है, लोगों के माइंडसेट में परिवर्तन आया है और खादी का सामान खरीदने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है।

महोदय, मेरा मानना यह नहीं है कि हमें सारी सफलताएं मिल गई हैं, अभी इसमें और बहुत कुछ करने के लिए बाकी है और वह किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि केवीआईसी को भंग करने के लिए जो निर्णय लिया गया है, वह कितना सही है और इसके लिए जो इन्होंने उद्देश्य रखे हैं, वे कितने सही हैं? मैं तो कहूंगा कि सरकार ने केवल राजनैतिक कारणों से केवीआईसी को भंग किया है। चूंकि आप अपने आदमी को वहां बैठाना चाहते थे, क्योंकि सत्ता में परिवर्तन हुआ था, आपने सभी संस्थाओं में परिवर्तन किया था, इसलिए आप इसमें भी परिवर्तन करना चाहते थे और इसीलिए इसको आपने भंग किया। इस विषय पर और अधिक न कहते हुए, आपने जो अमेंडमेंट लाया है, उसमें कुछ बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री उपसभापति : प्लीज, जल्दी कीजिए।

श्री सुरेन्द्र लाठ : सर, दो मिनट। इस संशोधन में जो दो-तीन मुख्य बातें हैं, उनमें से एक यह कि क्लॉज 2 में डेफिनेशन ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज, उसमें जो वर्ष 1956-57 में इसकी सीमा 15,000/-रुपए थी, उसको वर्ष 1994 में 50,000/-रुपए किया गया था, उसे अब आपने बढ़ाकर 1,00,000/- रुपए कर दिया है, निश्चित रूप से यह स्वागत-योग्य कदम है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसके अलावा कमीशन में सदस्यों की संख्या 10 से 12 कर दी गई है, जिसमें 6 नोन-ऑफिशियल 6 जोन से आएंगे, 3 सदस्य एक्सपर्ट कमेटी में होंगे, एक सदस्य स्टेट बैंक से होगा, 2 एक्स-ऑफिशो वोटिंग राइट के साथ होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो प्रिंसिपल एक्ट में चेयरमैन जो रिपोर्ट करता था, कमीशन को रिपोर्ट The Chairman was accountable to the Commission..., अब जो संशोधन आया है, इसके माध्यम से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब कमीशन को डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं करेगा, डे टू डे अफेयर्स में सारे काम की एकाउंटिबिलिटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ रहेगी। इसके अलावा जो आर्थिक अधिकार हैं, जो कि फाइनेंशियल ऐडवाइज़र को दिए गए हैं, वह डायरेक्टली चीफ ऐग्ज़िक्यूटिव आफिसर को और सरकार को रिपोर्ट करेगा। इसके द्वारा कमीशन के अधिकारों में कटौती की गई है। इस प्रकार कमीशन के चेयरमैन और इसके सदस्यों का नाम केवल एक कंसल्टेंट कमिटी के हिसाब से रहेगा, इनके पास डिसिजन मेकिंग पावर नहीं होगी और इस प्रकार कमीशन का पूरा ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो जाएगा और हमारा यह अनुभव है, महोदय, इस ब्यूरोक्रेटाइजेशन के माध्यम से आयोग कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए हमें इस बारे में अधिक विचार करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस आयोग का गठन किया जा रहा है या जिस प्रकार से यह संशोधन लाया जा रहा है, केवल संशोधन लाने से सारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आप यही संशोधन आयोग को बिना भंग किए भी ला सकते थे, किन्तु राजनीतिक कारणों से आपने आयोग को भंग किया और संशोधन लाए। मैं आपसे और आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इसमें राजनीति न लाए, आयोग को और अधिक सशक्त करे और इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ाए, इसके द्वारा ही इस देश का विकास हो सकता है। इस देश में ग्रामीण विकास की जो हम कल्पना करते हैं, जब तक खादी और ग्रामोद्योगों का विकास नहीं होगा, तब तक इस देश का ग्रामीण विकास संभव होना मुमकिन नहीं है।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में फिर से चिंता करें और आपने जो कमीशन के अधिकार कम किए हैं, उन पर पुनर्विचार करें, केवल तभी यह संभव होगा और हम इस क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ सकेंगे।

महोदय, मैं और अधिक न कहते हुए और फिर से आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभापति महोदय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 पर इस समय चर्चा हो रही है - इस संशोधन को लाने की क्या आवश्यकता थी, क्या कारण रहे। अभी वोरा जी बता रहे थे कि KVIC को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता का मुख्य कारण यह था कि 1994 में एक उच्च अधिकार प्राप्त कमिटी बनाई गई थी, जिसकी नई पहलों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप जहां खादी में रोजगार में तेजी आनी चाहिए थी, वहां रोजगार में गिरावट आनी शुरु हो गई। वर्ष 1997-98 के बाद पांच-छः वर्षों में खादी के उत्पादन, बिक्री और रोजगार में निरन्तर गिरावट आती गई। 1996-97 के दौरान खादी क्षेत्र मे 14.79 लाख व्यक्ति रोजगार प्राप्त किया करते थे, परन्तु वर्ष 2002-03 के दौरान यह घटकर 8.58 लाख व्यक्ति रह गए, जबकि छूट और ब्याज सब्सिडी, अनुदान आदि के रूप में खादी क्षेत्र में प्रतिवर्ष औसतन 130 करोड़ रुपए की अधिक राशि प्रदान की जा रही थी, फिर भी रोजगार में लगभग 6 लाख लोगों की गिरावट आई। भंडारी जी बता रहे थे कि कई ऐसी खादी कमिटियां बन गईं, जिनमें कई प्रकार के गबन हुए और हमारा जो आयोग था, वह किसी प्रकार से रोजगार या उत्पादन बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा। इस कारण पिछले सात वर्षों में 42 प्रतिशत की रोजगार में गिरावट आई और चार वर्षों के अन्दर इसमें 24 प्रतिशत की गिरावट आई। इसलिए सरकार ने इसे पुनर्जीवित करने के लिए केवीआईसी अधिनियम 1956 की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन 14 अक्तूबर, 2004 से केवीआईसी को भंग कर दिया और इसकी रीवैम्पिंग के लिए सरकार को सुझाव देने के लिए एक दस-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। उस विशेषज्ञ कमेटी को यह अधिकार दिया गया कि वह इन बातों पर विचार करे कि खादी एवं ग्रामोद्योग की संरचना कैसे हो, उसका कार्यकरण कैसे हो? साथ ही साथ समिति को यह भी कहा गया कि वह समिति के कार्यो के निष्पादन की परीक्षा करने, खादी और ग्रामोद्योग को पुनर्गठित करने एवं नये कार्यक्रमों को आरम्भ करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए सुझाव दे।

इन सब बातों पर विचार करके उस विशेषज्ञ समिति ने 6 अपैल, 2005 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के मुताबिक आयोग का जो पुनर्गठन हो रहा है, उसी के आधार पर ही इसका पुनर्गठन करने की सिफारिश की गई और यह भी सिफारिश की गई कि खादी और ग्रामोद्योग की पुनर्संरचना ऐसी हो जो लोगों को रोज़गार दे सके जिससे खादी का उत्पादन और बिक्री बढ़ सकें। इसके लिए समिति ने जो सिफारिशें दीं, उनमें पहली सिफारिश थी कि आयोग की संरचना में परिवर्तन किया जाए। दूसरी सिफारिश थी कि पूर्णकालिक अध्यक्ष के स्थान पर अंशकालिक अध्यक्ष का उपबंध हो। तीसरी सिफारिश थी कि खंड पर एक परामर्शदायी कार्यतंत्र का प्रावधान हो। चौथी सिफारिश थी कि केवीआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों को पुनः परिभाषित किया जाए और पांचवीं सिफारिश थी कि भंग किए जाने के बाद आयोग का पुनर्गठन का अनुबंध हो। ये उस कमेटी की पांच मुख्य सिफारिशें थीं।

उपसभापति महोदय, विधेयक का खंड 2 खादी ग्रामोद्योग आयोग के अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में विनिर्दिष्ट ग्रामोद्योग की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। ग्रामोद्योग की परिभाषा में प्रस्तावित संशोधन में प्रत्येक शिल्पी या कर्मकार के लिए विद्यमान उपबंधों के अधीन नियत पूंजी विनिधान की राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए के स्थान पर एक लाख रुपये से अनधिक कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामोद्योगों की संख्या में वृद्धि होगी। ...**(समय की घंटी)**... सर मैंने तो अभी ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : यह फर्स्ट बेल है।

श्री मूल चन्द मीणा : सर, दूसरी चीज़ यह है कि विधेयक के खंड 3 का उपखंड (ख) अन्य बातों के साथ-साथ खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। यह आयोग के सदस्यों की संख्या दस से बढ़ाकर बारह करने का प्रस्ताव करता है। तीसरा, विधेयक का खंड 6 बोर्ड के गठन से संबंधित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 10 का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। एक अन्य संशोधन में अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का नियमित अधिवेशन कराने का प्रस्ताव है। ऐसे अधिवेशन करने से परिणाम व्यय मंत्रालय में विद्यमान गैर योजनाओं पर बजट उपबंधों को पूरे किए जा सकेंगे। विधेयक के खण्ड 8 खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 में आंचलिक समितियों से संबंधित एक नई धारा-12क को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है। इसमें विहित छह भौगोलिक अंचलों में प्रत्येक के लिए एक आंचलिक समिति गठित करने का उपबंध है। इन समितियों का अधिवेशन कराने का पारिणामिक व्यय खादी और ग्रामोद्योग आयोग को खादी और ग्रामोद्याग के अनुदान शीर्ष के अधीन उपलब्ध कराई गई योजना निधि से पूरा किया जाएगा। इन संशोधनों के बाद आयोग का जो गठन किया जाएगा उससे यह महसूस होता है कि जो आयोग का ढांचा और प्रगति नहीं हो रही थी, वह पुनः सुचारू हो जाए, इसलिए माननीय मंत्री महोदय ने जो कदम उठाए हैं, इसका मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपसभापति : श्री जयन्ती लाल बरोट। आपकी पार्टी का समय मुकम्मिल हो गया है, आप पांच मिनट में पूरा कीजिए।

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात) : महोदय, यह गरीबों के रोजगार की चिंता करने का सवाल है, पूरी सरकार गरीब के लिए है। उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने

मुझे समय दिया है। आयोग विसर्जन के बारे में जो कोई बोलता है वह बात गलत है। मैं मानता हूं कि खादी कमीशन का जो अध्यक्ष था, वह सही मायने में आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाला कारीगर था, लेकिन वह इस सरकार के पांव छूने के लिए नहीं जाता था, इसलिए इसको भंग करने के लिए, कि खादी का काम कम हो रहा है, ऐसा बोलकर इसको भंग किया था। मैं मानता हूं कि इस खादी कमीशन के जो अध्यक्ष थे, तब विलेज इण्डस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए, खादी के काम को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए हर दो महीने में, हर तीन महीने में अंचल की समितियों के साथ, कमीशन के लोगों के साथ, मैं उस समय गुजरात खादी ग्रामोद्योग का अध्यक्ष था इस नाते मुझे भी कभी-कभी बुलाया जाता था कि विलेज इण्डस्ट्री का बना हुआ माल कारीगर के यहां पड़ा रहता था, उसकी सही मायने में मार्केटिंग कैसी की जाए, तो उसका ब्रांड नेम दिया, उसकी मार्केटिंग बड़े-बड़े सिटी में की जाए, खादी संस्थाओं में माल बेचे जाएं, तो वही कारीगर जो अपना माल बनाता है, वही माल बाजार में बिकेगा, तभी कारीगर का नया माल बनेगा। यदि कारीगर माल बनाएगा और मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं होगी तो वह उसको कहां बेचने के लिए जाएगा। इतना अच्छा काम करने वाले कमीशन को भंग करके सरकार ने बहुत बड़ी गलती की। आज आफिसर्स के आधार पर यह कमीशन चलता है। जो सरकारी बाबू होते हैं, उनको अपनी पगार से मतलब होता है, उनके दिल में गरीबों के लिए कोई भावना नहीं होती है। इसलिए डेढ़ साल से कमीशन पूरा बंद जैसा पड़ा हुआ है। हमारे गुजरात के खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ के जो अध्यक्ष हैं, उनका एक खत मेरे पास आया कि आप इसके लिए कुछ करिए और विनती कीजिए कि यह खादी कमीशन फिर से शुरू किया जाए तथा अधिकारियों के चंगुल से इस कमीशन को छुड़ाया जाए। इसलिए इस खत के आधार पर मैं आपसे विनती करता हूं कि तुरन्त ही खादी कमीशन बनाया जाए। मैं मानता हूं कि खादी पहनने में अनुभव कैसा, जो खादी बुनने वाला है, जो कटिंग करने वाला है, खादी के काम से जुड़ा हुआ है, जो ग्रामीण कारीगर है और दस साल का अनुभवी है, तो वह कौन? यह ढूंढने के लिए कौन निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो मैं मानता हूं कि जो जन्मजात से खादी पहनता है, जिसने खादी के विचार को स्वीकारा है, महात्मा गांधी की खादी की बात को स्वीकार करके काम करने वाला है, उसको ही ऐसा होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि आज सरकार में बैठे हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, वे भी खादी नहीं पहनते हैं और फिर खादी के लिए आंसू निकालते हैं कि खादी का काम कम हो रहा है। कैसे खादी का काम बढ़ेगा? महात्मा गांधी कहते थे कि जिसको समाज सेवा करनी है उसको खादी पहननी चाहिए, उसको खुद सूत कातना चाहिए, उसको खुद बुनना चाहिए। लेकिन वे न कातते हैं, न बुनते हैं, न खादी का काम करते हैं और फिर खादी की बात करके, गरीब की बात करके, दलित की बात करके, आदिवासियों की बात करने वालों पर मुझे आज दया आती है यह जो 1956 धारा 4 उपधारा 2 खंड "ख" में जो सुधार किया है, इसमें 10 के 12 किये हैं, ये 12 कौन ? 2 कौन बढ़े हैं? वे दोनों सरकारी अधिकारी हैं - एक सीओ है और एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप उनको मताधिकार का अधिकार दे रहे हैं। ये खादी का काम करते नहीं हैं, सीओ कौन होता है, यह आईएएस अफसर होता है। आईएएस अफसर का खादी के साथ क्या लेना-देना ? वह तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर कौन हैं? वह भी फाइनेंस में एकाउंट का काम करने वाले हैं। इन आफीसरों को मताधिकार देने की जो बात है, वह गलत बात है। इनको मत देने का अधिकार नहीं देना चाहिए। मैं मानता हूं कि इसके सदस्यों की संख्या 10 की जगह पर 20 करो, लेकिन इसमें हर राज्य से एक-एक प्रतिनिधि रखा जाये। आपने छह अंचल बनाये हैं, तो इन छह अंचलों में से एक-एक प्रतिनिधि

आये। इसी तरह से हर राज्य में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन का आफिस बनाना चाहिए और वहां से एक प्रतिनिधि लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस आधार पर यह कमीशन बड़ा बनना चाहिए। जो लोग खादी का काम करते हैं, वे इसमें शामिल होने चाहिए। मैं यह मांग करता हूं कि आफीसरों को पावर दिये बिना, सही मायने में खादी का काम करने वाले, खादी का काम करने वाले लोगों को इसमें प्रतिनिधि बनाना चाहिए।

मुझे इस आधार पर थोड़ा संदेह होता है कि आजकल जिस तरह से कांग्रेस चलती है एक सेंटर पर से, उसी तरह से इस खादी और ग्रामोद्योग कमीशन को भी अधिकारियों के आधार पर, उसका कंट्रोल सरकार के पास, मंत्री के पास आ जाये और खादी कमीशन जैसा मंत्री जी बोलें, वैसे चले, इस आधार पर इन अधिकारियों को मत देने का अधिकार देने की ये सोच रहे हैं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और विनती करता हूं कि अधिकारियों को मत देने का अधिकार नहीं देना चाहिए।

इसमें एक सुधार रखा गया है कि चेयरमैन के स्थान पर कमीशन को अधिकार दिया जाये। खादी कमीशन का जो चेयरमैन है, जो खादी का काम जानने वाला है, जो खादी का काम करने वाला आदमी है, उसको खादी का काम करने में सीओ के पास है अधिकार वह कमीशन को देने के बजाय खादी और ग्रामोद्योग के चेयरमैन को ही देना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है।

जब नरसिंहराव जी प्रधान मंत्री थे, उस टाइम एक हजार करोड़ रुपये आरबीआई की तरफ से सभी संस्थाओं को दिये गये। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आरबीआई ने जो धनराशि संस्थाओं को दी, उसमें से कितनी संस्थाओं ने रिपेमेंट किया, क्योंकि संस्थाएं डूब रही हैं। आजकल खादी का काम करने वाला कारीगर भी भूखा रहता है, इसके बारे में संस्थाओं को पूछते हैं, तो संस्थाएं बोलती हैं कि हम एक भी कारीगर को रोजगार नहीं देते हैं, सिर्फ उसको तेल और मिर्ची के लिए पैसा देते हैं। मैं जानता हूं कि आदमी को खाने के लिए अनाज चाहिए, आदमी को खाने के लिए सब्जी चाहिए, क्या वह तेल और मिर्ची खाकर जी सकेगा? लेकिन संस्थाओं के दिमाग में भी खादी का काम करने वाले कारीगर के लिए कतई दया नहीं है, उनको संस्था चलानी है और ये संस्था वाले एक हजार करोड़ रुपया सरकार का ले गये, उनमें से कोई वापिस पैसा भरता नहीं है और आज ब्याज का और सूद का पैसा बढ़ते-बढ़ते एक हजार करोड़ की जगह पर दस हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गये हैं। ऐसी संस्थाओं की वजह से, बैंकों के ऋण के कारण आज उनको मान्यता नहीं मिलती है, उनको बैंक ग्रांट देती नहीं हैं। हम मंजूरी करते हैं, तो बैंक्स द्वारा ऋण नहीं देने के कारण ये संस्थाएं भी बंद होने के कगार पर आकर खड़ी हैं।

मैं विनती करता हूं कि खादी और विलेज इंडस्ट्री को, ग्रामीण उद्योग के आधार पर हम ग्रामीण कारीगर को रोजगार दे सकेंगे और ग्रामीण रोजगारी देना होगा, तो संस्थाओं की वजह हम व्यक्तियों को भी हम रोजगारी दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने एक सुझाव रखा है कि 15 हजार की जगह पर हम एक लाख करते हैं। मैं मानता हूं कि 15 हजार नहीं, पहले 50 हजार था, इसको लाख करने का सवाल नहीं है, इसको दो लाख किया जाना चाहिए। दो लाख भी इस तरह से कि उसको खुद को अपना रोजगार करने के लिए, जहां स्थान पर धंधा करना है, आदिवासी है, वन विभाग की तरफ से उसको जमीन का मालिकाना हक नहीं है, उसको वहां धंधा करने की मंजूरी नहीं मिलती है, उसके पास अपनी जमीन नहीं है, लेकिन वह धंधा कहां पर

करेगा? वह कौन से घर पर बैठकर धंधा करेगा? अगर सरकार ने उसको निवास के लिए जगह दी है, तो सरकार का एक कानून होता है कि यह जमीन निवास के लिए दी है, वहां पर वह धंधा नहीं कर सकता है, अगर स्थान नहीं होगा, तो धंधा, रोजगार कहां पर करेगा? उसको रहने के लिए और धंधा करने के लिए वन विभाग से तुरन्त जमीन मिलनी चाहिए। उस राज्य को इसके बारे में सूचना देनी चाहिए । इन आदिवासियों को धंधा करने के लिए लोन भी तुरंत मिले, उसको जमीन भी तुरंत मिले और जहां रहता है, वहां पर भी धंधा करे, बिक्री करे, इसकी भी परमिशन देनी चाहिए, यह मेरी मांग है। ...**(समय की घंटी)**...

तीसरी बात मैं यह कहता हूं कि एजेंसियों के बारे में। विलेज इंडस्ट्री में एजेंसियों की क्या जरूरत है? इसमें दलाल आयेंगे और अगर दलाल आयेंगे, तो महंगाई बढ़ेगी। मुझे पता है, क्योंकि मैं खादी कमीशन में रह चुका हूं। खादी कमीशन की तरफ से रूई लेने का एक प्रावधान है। उसका सेंटर कहां है, तो बोला कि नागपुर में है, लेने जायेगा, तो बोला कि वहां से लाने का खर्चा लगता है, तो जो बाजार से रुई मिलती है, उससे डेढ़ गुणा भाव से रूई कमीशन देता है, उसका खर्चा चढ़ता है, तो खादी संस्था है, वह इसको लेती नहीं है, तो ये लोग बोलते हैं कि रूई नहीं लेते हैं, तो हम लोग मंजूरी नहीं देंगे। इस तरह खादी का काम, खादी को रोकने का काम कमीशन की ओर से होता है।

मैं मानता हूं कि जहां कारीगर काम करता है, वहीं उसको रुई मिले, वहीं उसको काम मिले, वहीं उसको माल मिले, इसका प्रावधान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त महोदय, आजकल वैट लग रहा है। वैट, खादी पर नहीं, लेकिन विलेज इंडस्ट्री पर वैट लगेगा। इस प्रकार एक छोटा कारीगर, जो यहां विलेज में काम कर रहा है, उसके ऊपर वैट के आधार पर टैक्स लगेगा। खादी ।वेलेज इंडस्ट्री है, कहीं भी ग्रामोद्योग पर वैट का टैक्स न लगे, उसका प्रावधान इसमें जरूर करना चाहिए। नहीं तो हम जो चाहते हैं, वह नहीं कर पाएंगे, गांव का गरीब मर जाएगा, कारीगर मर जाएगा और उसका पाप इस सरकार पर लगेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि गरीब, कतीन, बुनकर और कारीगर को जीने के लिए हमारी ओर से जितना हो सके, उतना दिल को खुला करना चाहिए। एक लाख की जगह पर दो लाख दें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन जो दस वर्ष के अनुभव वाली बात है, वह छोड़कर जो खादी के साथ जुड़ा हुआ है, उस आदमी को उसमें रखना चाहिए। अंचल के स्थान पर हर स्टेट में से लेना चाहिए और जिस स्टेट में खादी ग्राम का फैडरेशन है, उस फैडरेशन के अध्यक्ष को भी अगर सदस्य के नाते लिया जाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि हर स्टेट में दो सौ, तीन सौ, चार सौ, पांच-पांच सौ खादी का काम करने वाली संस्थाएं हैं, उनकी फैडरेशन है। उस फैडरेशन के अध्यक्ष को छोड़कर, सिर्फ राजकीय कारण से अलग-अलग लोगों को आकर बिठा देते हैं जिनको खादी के बारे में मालूम नहीं होता है, जो खादी के काम को नहीं जानते हैं, जिसको वीवर के प्रति लगाव नहीं है, ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए - यह मैं कहना चाहता हूं। जो प्रावधान माननीय मंत्री जी लेकर आए हैं, उसका मैं विरोध करता हूं। जो पुराना है, वह सही है, उसमें सुधार करके थोड़ा बढ़ाएं, यह मैं कहना चाहता हूं। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री महावीर प्रसाद : आदरणीय उपसभापति महोदय, मैंने अपने उद्‌बोध भाषण में विभिन्न बिन्दुओं पर अपने विचार रखे थे...**(व्यवधान)**...

श्रीमती जमना देवी बारूपाल (राजस्थान) : सर, मैं इस पर...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : मैं मंत्री जी को बुला चुका हूं। आप बैठिए।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल : सर, मैं तो असली ऊन कतवारन हूं, जिसकी पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने बड़ाई की, राजीव जी ने की, इंदिरा गांधी जी ने की। जितना अनुभव मुझे है, ऊनी खादी के बारे में, मैं उसके बारे में अच्छी तरह से बता सकती थी।

श्री उपसभापति : ठीक है। बोलिए।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल (राजस्थान) : बाऊ जी, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करूंगी क्योंकि आजादी से पूर्व हमारे भारतवर्ष में स्वदेशी वस्त्रों को महत्व दिया गया। हम स्वयं सूत कातते थे। हमारे यहां आज भी घरों में महिलाएं ऊनी धागा कातती हैं, अमर चरखे से, और ऊनी शाल तथा खेस महिलाएं स्वयं बनाती हैं। हमारे गंगानगर जिले में तो आज भी रात्रि में बच्चियां सूत कातती हैं और दहेज में 15 से लेकर 20-20 खेस अपने दहेज में ले जाती हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने तथा अन्य स्वदेश को महत्व देने वाले नेताओं ने खादी को बढ़ावा दिया कि देश स्वावलम्बी बनेगा। हम भी खादी की साड़ी पहनकर एक अद्भुत सुख की अनुभूति करते हैं। लेकिन आज ग्रामोद्योग खादी की तरफ रूझान कम होता जा रहा है जिससे देश में घाटा यह हुआ कि जिस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नींव रखी थी कि ग्राम राज्य स्वावलम्बी बने, ग्रामों में रहने वाले लोगों को रोजगार मिले जिससे वे शहरों की तरफ पलायन न करें। लेकिन मैं अपने अनुभव की बात यह करना चाहूंगी कि हमारे राजस्थान, बीकानेर में आज तक हजारों महिलाएं ऊनी खादी कातती हैं और अपना जीवन-यापन करती हैं। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी को हमने बीकानेर के बने हुए शाल भेंट किए, जब वे बीकानेर आए। जब हमने जवाहर लाल जी को शाल भेंट किया - पंडित जी बड़े हंसमुख थे - उन्होंने कहा, वाह रे बारूपाल, तुम्हारे यहां के बने हुए शाल तो कश्मीर के शालों को भी मात करते हैं। लेकिन उनके द्वारा की गयी प्रशंसा आज हमें राजस्थान में फीकी नज़र आ रही है और खादी ग्रामोद्योग लुप्त होता जा रहा है। इसी प्रकार हमने हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी को कहा, उस वक्त ऊन कतवारी संघ की चेयरमैन होने के नाते मैंने उनको एक शॉल पेश किया। और मैंने आग्रह किया कि हमारी महिलाओं को दो और चार रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी मिलती है, जो बहुत कम है। राजीव जी को उस बात से गुस्सा आया और उन्होंने उसी वक्त जैसलमेर कबीर बस्ती में जो खादी संस्था थी, उसको दो लाख रुपए अनुदान में दिए कि आप उनको पनपाइए। उस वक्त मैडम सोनिया जी भी साथ थीं और उन्होंने झुग्गी-झोंपड़ियों में जाकर बाजरे की रोटी खाई, मैं इस बात की गवाही देती हूं। लेकिन आज सरकार बड़ी-बड़ी कंपनियों को महत्व दे रही है और हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, खासकर अनुसूचित जाति के लोग और महिलाएं अपनी रोज़ी-रोटी से वंचित हो रहे हैं। आज बीकानेर में अकेले चालीस से पैंतालीस खादी उद्योग संस्थाएं रुग्ण अवस्था में सिसकियां भर रही हैं और अनुसूचित वर्ग की हज़ारों महिलाएं बेरोज़गार हो रही हैं। बेरोज़गारी का एक मुद्दा यह सामने आया कि वे लोग अपना माल अन्य प्रांतों में उधार दे देते हैं और उधार खाते में उनका सारा पैसा लैप्स हो जाता है और वे बेघर हो जाते हैं। बेहतर यही होगा कि हमारी केंद्र सरकार उन खादी संस्थाओं से सीधी खरीद करे और उनको सीधे रोज़गार दे, तभी वे रुग्ण संस्थाएं पनप सकती हैं। अनुसूचित

जाति की वे महिलाएं जो स्वरोज़गार पैदा करती हैं, अपनी रोज़ी-रोटी के लिए ग्रामों में बैठी हुए वे महिलाएं पनप सकती हैं। खादी ग्रामोद्योग जब प्रबलता लाएगा, तब उन महिलाओं को अधिक कार्य दिया जाएगा।

महोदय, मैं कहती हूं कि हमारे यहां बीकानेर में एशिया के मुकाबले की रंगाई, कताई, बुनाई होती है, लेकिन यहां थोड़ा डिज़ाइन देने की जरूरत है। अगर खादी के वस्त्रों में अधिक सुंदर तरीके का डिज़ाइन दिया जाए, तो मैं सोचती हूं कि हमारी केवल बीकानेर की हज़ारों महिलाएं और बुनकर जो बेघर हो रहे हैं, उनको रोज़ी-रोटी मिल जाएगी। उपसभापति महोदय और मंत्री जी, आपने मुझे सदन में बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री महावीर प्रसाद : आदरणीय उपसभापति महोदय, जब मैंने इस विधेयक को माननीय सदन के सामने प्रस्तावित किया, उस समय मैंने अपने संक्षिप्त उद्‌बोधन में कुछ चीज़ों पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट किया। इस माननीय सदन में एक बात मैं बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, के.वी.आई.सी. के भंग करने की जो बात है, मैं आपटे जी को बताना चाहता हूं, सुरेन्द्र लाठ जी और आदरणीय बरोट जी को बताना चाहता हूं कि यह भावना आप निकाल दीजिए कि मैंने किसी राजनीतिक द्वेषवश खादी ग्रामोद्योग कमीशन को भंग किया। यह बिलकुल निराधार है, निर्मूल है। यह भावना हमारी नहीं है और जहां तक नौ सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, सबके विचारों को मैंने सुना है। मैं तो यह संशोधन विधेयक मात्र इसलिए लाया, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं, आंकड़े मेरे पास हैं, महालेखाकार की टिप्पणी या रिपोर्ट मेरे पास है और सारे आंकड़े हमारे पास हैं, मैं इस माननीय सदन में उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। हमारी साफ मंशा है कि हमारी यू.पी.ए. सरकार का, एन.सी.एम.पी. का जो हमारा उद्देश्य है कि देश में करोड़ों करोड़ दलितों, गरीबों, किसानों, महिलाओं, कमज़ोर वर्ग के लोगों को रोज़गार देने का हमने जो संकल्प लिया है, उससे उत्प्रेरित होकर ही मैं यह संशोधन लाया हूं और मैंने यह साफ किया है कि इसका पुनर्गठन जो होने जा रहा है, जो अपने देश को छः अंचलों में हमने बांटा है, उसमें मैंने बिलकुल साफ कर दिया है, बिना किसी भेदभाव से सदस्यों का चयन किया जायेगा।

KVIC और केन्द्र सरकार दोनों मिलाकर, इनका समन्वय करके, हम वहां एक आंचलिक मुख्यालय बनाएंगे। हम यह मुख्यालय इसलिए बनाएंगे कि क्या कारण है कि खादी कम क्यों हुई है। जैसे कि 1997-98 में हम खादी से 14 लाख लोगों को रोजगार दे रहे थे, लेकिन 2003-04 में यह संख्या आठ लाख पर पहुंच गई। हम कहते हैं कि ग्रामीण उद्योग में, इसकी स्थिति अच्छी थी। लेकिन जहां पर यह स्थिति केवल मात्र थी, जिस खादी में गिरावट आई, उस गिरावट को देखते हुए, महा लेखाकार की रिपोर्ट को देखते हुए और अन्य समितियों के आंकलन को देखते हुए, मैंने यह निर्णय लिया कि पूरे देश में, हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया है, हम उसके आधार पर गरीबों को नौकरी व रोजगार देने का विचार रखेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयन्ती लाल बरोट : एक संकल्प यह भी करें कि हर कांग्रेसी सदस्य खादी पहनने का संकल्प करें।...**(व्यवधान)**... जो कांग्रेसी खादी पहनने वाले नहीं हैं, वे खादी की क्यों बात करते हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : बैठिए, बरोट जी।

श्री महावीर प्रसाद : बरोट जी, ...**(व्यवधान)**...

श्री जयन्ती लाल बरोट : हमारे गुजरात में हर कार्यकर्ता दो जोड़ी खादी पहनेगा, ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप बैठिए।...**(व्यवधान)**...

श्री जयन्ती लाल बरोट : ऐसा परिपत्र निकाला है, आप भी निकालिए। ...**(व्यवधान)**... कारीगरों को काम मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और लोगों को काम मिलेगा।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप बीच में मत बोलिए । मंत्री जी, आप बोलिए।

श्री महावीर प्रसाद : महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य : आप * छोड़ेंगे कि नहीं...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : देखिए, आप बीच में इन्टरेप्ट मत कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद : महोदय, मैंने साफ कहा है कि ...**(व्यवधान)**...

डा. मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं समझता हूं कि उनका यह रिमार्क अच्छा नहीं है और अशोभनीय है। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल) : अशोभनीय है...**(व्यवधान)**...

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह रिमार्क बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप * कब छोड़ेंगे, यह शब्दावली ठीक नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : मैं देखकर निकाल दूंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस. एस. अहलुवालिया (झारखंड) : देखना क्या है ...**(व्यवधान)**...

श्री महावीर प्रसाद : महोदय, मैं यह बता रहा था कि हम जो 6 आंचलिक क्षेत्र बनाने जा रहे हैं। उसमें हम उन बिन्दुओं पर ध्यान देंगे, जो बिन्दु हमारे माननीय सदस्यों ने इस सदन में रखे हैं। श्रीमन्, मैं एक बात और साफ करना चाहता हूं कि हमने इसमें जो गैर सरकारी चार सदस्य रखे हैं, उनमें से एक-एक सदस्य अपने-अपने विभाग में और अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। जैसा कि हमेशा यह पूछा जाता है कि खादी की मार्केटिंग, बाजार ठीक नहीं है। हमारा जो कारीगर है, जो खादी तैयार करता है, हम उसके माल को बाजार में बेच नहीं पाते हैं, उसकी व्यवस्था के लिए हमने मार्केटिंग का विशेषज्ञ उसमें रखा है। हमारा दूसरा विशेषज्ञ ग्रामीण विकास का होगा और जो हमारा विशेषज्ञ रूरल डेवलेपमेंट से संबंधित है, हम उसको इसमें रख रहे हैं। हम तीसरा विशेषज्ञ जो रख रहे हैं, वह ग्रामोद्योग प्रोद्यौगिकी टेक्नॉलोजी एंड सांईस के विषय में होगा। खादी के प्रति, ग्रामोद्योग के प्रति, हम ऐसी नई टेक्नॉलोजी लाएं, हम उसमें इस प्रकार

---

*Expunged as ordered by the Chair.

का डिजाइन पैदा करें, जो आज के वैश्वीकरण के वातावरण में, ग्लोबलाइजेशन में, उदारीकरण में और WTO में, हम इस प्रकार से खादी को और ग्रामोद्योग को रखना चाहते हैं कि हम पूरे विश्व के आधार पर, खादी को पहुंचा सकें। हम खादी को वहां ले जाना चाहते हैं, जो महात्मा गांधी का मिशन था। हमारी खादी का जो मिशन था कि दलितों, मजदूरों को और महिलाओं को, सभी को हम रोजगार देंगे। हमने NCMP में जो तय किया है, एक माननीय सदस्य यहां पर कह रहे थे कि आप NCMP की बात करते हैं या CPM की बात करते हैं। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि यहां पर बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, वह हमारा सहयोगी दल है। हमारे साथ विचार-विमर्श के लिए एक समन्वय कमेटी है और हम उस समन्वय कमेटी में तय करके ही अपनी नीतियों को तय करते हैं। मैं साफ करना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसी के दबाव में काम करने वाली नहीं है और न ही हम डरते हैं। मैं फिर यह कहता हूं कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हर प्रकार की हर चीज को मैंने इसमें संकलित किया है।

इस आधार पर खादी को पुनर्जीवित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, इनके दिशा-निर्देश में मैं उन चीजों को नहीं होने दूंगा, जो गत दिनों हुई थीं। इससे संबंधित जो संस्थाएं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मैं उनकी जांच-पड़ताल कराऊंगा और यदि ऐसा कुछ हुआ है, तो उनके बारे में निर्णय लूंगा। जब तक मैं हूं, मैं गलत काम नहीं होने दूंगा। आप दलित की बात करते हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) :

श्री उपसभापति : पाणि जी, मंत्री जी को जवाब देने दीजिए...**(व्यवधान)**... नहीं, वह निकाल दीजिए।

श्री दीपांकर मुखर्जी : उपसभापति जी, ये assurance दे चुके हैं कि आगे से इस तरह नहीं करेंगे। अब वे फिर से आ रहे हैं, लेकिन फिर वही शुरू कर दिया है...**(व्यवधान)**...

श्री महावीर प्रसाद : माननीय उपसभापति जी, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिवादन करना चाहता हूं और मैं विनम्रता से उनसे आग्रह करूंगा कि आप आंकड़ों में मत पड़िए, काम पर आइए, काम करिए, सुधार हम कर लेंगे, आप सुझाव दीजिए। माननीय रवि शंकर प्रसाद जी भी आ गए हैं, ये भी उस दिन हमको सुझाव दे रहे थे। आज मैं इनसे भी कहूंगा कि खादी और ग्रामोद्योग को हम किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं और हिंदुस्तान के जन-जन तक पहुंचा सकते हैं, यही हमारा मिशन है, यही हमारा उद्देश्य है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:-

"That the Bill further to amend the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

---

* Not recorded.

1.00 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 14 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री महावीर प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि बिल को पारित किया जाए

The question was put and the motion was adopted.

DISCUSSION ON STATEMENTS MADE BY THE PRIME MINISTER

Civil Nuclear Energy Cooperation With The United States of America

डा. मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर सारे देश को जो चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, उस पर चर्चा प्रारंभ करने का अवसर मुझे दिया है। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और संयुक्त राष्ट्र अमरीका के राष्ट्राध्यक्ष जी ने 18 जुलाई, 2005 को वाशिंगटन में एक संयुक्त वक्तव्य दिया था, उसमें बहुत सी बातें कही गई थीं, लेकिन दो-तीन बातें ऐसी हैं, जिनके ऊपर सदन को और देश को, तत्काल गंभीरता से विचार करना जरूरी है। पहला तो नाभिकीय अप्रसार और सुरक्षा यानी Non-Proliferation and Security के बारे में है, फिर High technology and Space यानी उच्च-स्तरीय टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष है, फिर recognising

(श्री सभापति पीठासीन हुए)

इसके बारे में वहां जो चर्चाएं हुईं और उनके परिणामस्वरूप जो फैसले हुए, उन पर जरूर चर्चा करनी होगी, क्योंकि इसी में से फिर एनर्जी के नाम पर, ऊर्जा के नाम पर जो समझौता हुआ, उसने हमारी सारी नाभिकीय सुरक्षा की जो क्षमता थी, उसको भी प्रतिबंधित कर दिया है और साथ ही साथ हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं तथा उनकी पूर्ति के बारे में प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

साथ-ही-साथ जिसे हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंसी कहा जाए, ऊर्जा में हमारी अपनी स्वतंत्रता बनी रहे, उसके बारे में भी प्रश्न-चिन्ह लगा दिया है।

तीसरा, launch a US-India Knowledge Initiative on agriculture focussed on promoting teaching, research, service and commercial linkage. अभी तक यह एक ऐसा बिन्दु है, एक ऐसा पक्ष है, जिस पर देश में, सदन में बहुत कम चर्चा हुई है और यह उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि यह नाभिकीय प्रश्न।